दिनांक 10-5-2018

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार
राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय
आपके द्वार, 2018 केम्प कोर्ट बेडल
में पेश हुई। पक्षकारो को लोक अदालत
की सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
अप्रार्थी तहसीलदार बाली उपप्र अप्रार्थी
तहसीलदार बाली ने प्रा. पत्र का
जवाब पेश किया। अप्रार्थी तहसीलदार बाली
ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि
मूल आवंटी जयराम पि. सिंगाजी की
मृत्यु होने के 23 वर्ष बाद कब्जे की
कोई संभावना नहीं होने तथा वर्ष 1996
के पूर्व बंदोबस्त विभाग को मुकदमा
के दौरान नामा करण के अधिकार
होने के बावजूद आदिनांक तक नामा
करण नहीं होने से प्रा. पत्र प्रार्थी
खारिज किये जाने का निवेदन
किया। इसके साथ ही अतिक्रमी व गैर
खातेदार को बेचान के कोई हक अधिकार
नहीं है तथा न ही आम मुख्त्यार ही
पैदा कर सकता है। पत्रावली व
उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

जाहिर है कि आवंटी जयराम पुत्र बीजाजी को दि० 20-4-1976 को आवंटित 10बीघा भूमि ग्राम जाहूरी के गत खसरा नंबर 201/ से बने हाल खसरा नंबर 133 मेसे 1.60 हैक्टर भूमि इन्द्राज दुरुस्ती के माध्यम से मांग की गई। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे जाहिर है कि अन्यसत्र भूमि आवंटी के नाम आज दिनांक तक गैर खातेदारी अथवा खातेदारी के रूप मे दर्ज नही रही है। तथा आवंटी की मृत्यु भी हो चुकी है। जिनके कानूनी वारिस की ओर से जरिये आम मुख्तियारनामा उक्त दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। धारा 136 LR Act, 1956 के प्रावधानो अनुसार विभाग द्वारा की गई लिपीकिय त्रुटियो को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी दुरुस्ती के आदेश दे सकता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे न तो आवंटी जीवित है एवं न ही किसी प्रकार की लिपीकिय त्रुटि है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली ग्राम जाहूरी के गत खसरा नंबर 201/ से बने हाल ख०नं 133 मेसे 1.60 हैक्टर भूमि की इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 136 राज० भू० अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। मिसल मसिल शुमार होकर नंबर से कम हो।

ह० उ०

सेवाएं